बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–09.10.2015 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर रहने के फलस्वरूप सामान्य से कम वर्षा के आलोक में सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

1. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
2. प्रधान सचिव, कृषि विभाग
3. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
4. सचिव, जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन विभाग
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
6. सचिव, ऊर्जा विभाग
7. सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
8. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
9. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

दक्षिण–पश्चिम मानसून 2015 से राज्य में अल्प वर्षापात/सुखाड़ की संभावना को देखते हुए आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो निम्नवत है :–

1. भारत मौसम विज्ञान विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग, पटना के प्रतिवेदन के अनुसार इस सप्ताह भी राज्य में वर्षापात होने की संभावना नहीं है। दक्षिण–पश्चिम मॉनसून की वापसी हो रही है। वर्त्तमान में राज्य में औसत वर्षापात सामान्य से 30 प्रतिशत कम है तथा 25 जिलों में वर्षापात सामान्य से कम है।

2. कृषि विभाग

प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि अबतक धान की बिचड़े का आच्छादन लक्ष्य के विरूद्ध 95.33 प्रतिशत, धान का आच्छादन 97.91 प्रतिशत एवं मक्का का आच्छादन 89.70 प्रतिशत हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि मानसून की कमजोर स्थिति के मद्देनजर धान के उत्पादन के साथ–साथ बड़े क्षेत्रफल में मक्का के उत्पादन पर भी बल दिया गया है। खरीफ 2015 में सामान्य से कम वर्षापात के पूर्वानुमान के आलोक में राज्य में 350000 हेक्टेयर क्षेत्र में आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के आच्छादन का कार्यक्रम चल रहा है। डीजल सब्सिडी के रूप में 25.78 करोड़ का वितरण किया गया है।

विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि किसानों का फसलवार सूची तैयार कर पहले से जांचकर रखा जाए ताकि डीजल सब्सिडी एवं अन्य कृषि संबंधी अनुदानों के वितरण में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। डीजल सब्सिडी वितरण का प्रतिदिन पर्यवेक्षण किया जाए एवं प्रतिदिन प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराया जाए। विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बैठक कर समीक्षा कर ली जाए साथ ही कृषि विभाग के उप निदेशकों को क्षेत्र भ्रमण कराकर स्थिति का जायजा लिया जाए। विकास आयुक्त द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि जिन–जिन चरणों का मतदान खत्म हो जाता है उन–उन जिलों में डीजल सब्सिडी वितरण की कार्रवाई में तेजी लायी जाए तथा जिन जिलों में आदर्श आचार संहिता के आलोक में डीजल सब्सिडी का वितरण आरम्भ नहीं किया जा रहा है, वहाँ चुनाव आयोग के अनुमति प्राप्त कर डीजल अनुदान वितरण की कार्रवाई की जाए।

3. लघु जल संसाधन विभाग

सचिव, लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि यांत्रिक एवं विद्युत दोष के कारण 1778 नलकूप बंद हैं एवं यांत्रिक दोष से बंद पड़े नलकूपों की सं0 1102 तथा संयुक्त दोष से बंद पड़े नलकूपों की सं0 4017 है।

विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि नलकूपों की मरम्मति एवं Channels की मरम्मति अविलम्ब पूरी की जाय और साथ ही शीघ्र नलकूपों को चलाने हेतु कर्मियों की व्यवस्था की जाए एवं नलकूपों से सिंचित होने वाले क्षेत्रफल का प्रतिवेदन की मांग की गयी।

4. ऊर्जा विभाग

सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पर्याप्त विद्युत की आपूर्त्ति की जा रही है, जो औसत 10 से 12 घंटे है। पूर्व में 174 जले ट्रांस्फर्मर के विरूद्ध 143 ट्रांस्फर्मर बदले जा चूके हैं तथा नाबार्ड फेज–XI के 2697 स्कीम के विरूद्ध 2443 को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। इसी प्रकार नाबार्ड फेज–VIII के अंतर्गत 1551 स्कीम के विरूद्ध 1243 को ऊर्जान्वित कर दिया गया है।

विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि अल्पवर्षापात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति जारी रखी जाए तथा ट्रांस्फर्मर की खराबी से बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र ऊर्जान्वित करने की कार्रवाई की जाए।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा बताया गया कि कुल 94699 चापाकल गाड़ने के लक्ष्य के विरूद्ध 26538 चापाकल गाड़ा जा चूका है तथा कुल 94695 चापाकल मरम्मति लक्ष्य के विरूद्ध 70324 चापाकल की मरम्मति की जा चूकी है। विभाग द्वारा हर जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के 5 चापाकलों के भू–जलस्तर की मोनेटरिंग की जा रही है। राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में माह सितम्बर 2013 की तुलना में किसी भी जिला में औसतन भू–जल स्तर में गिरावट की सूचना नहीं है। राज्य के उत्तरी भाग के 21 जिलों में सितम्बर 2014 की तुलना में किसी भी जिले में भू–जलस्तर में गिरावट की सूचना नहीं है।

विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि विद्युतदोष के कारण खराब नलकूपों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाए। यह भी ध्यान दिया जाय कि गुणवतापूर्ण पेयजल की आपूर्ति किया जाय और जहां बोरिंग पुराना हो गया है उसे मरम्मति करने की अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

6. जल संसाधन विभाग

सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कोशी नदी में कुल 56820 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है। पूर्वी कोशी एवं पश्चिम कोशी नहर प्रणालियों में क्रमशः 10000 तथा 2500 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। गंडक नदी में वर्त्तमान में कुल 44900 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है, जिसमें से तिरहुत नहर प्रणाली में 4000 घनसेक, दोन नहर प्रणाली में 2000 घनसेक एवं त्रिवेणी नहर प्रणाली में 2000 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 10500 घनसेक जलापूर्ति की जा रही है जिसमें से सारण मुख्य नहर प्रणाली में 3000 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज मे 11600 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्व नहर प्रणाली में 3840 घनसेक तथा पश्चिमी नहर प्रणाली में 7760 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है।

प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति निम्नवत है:–

क्र0	जलाशय का नाम	कुल संचयन क्षमता	दिनांक–01.10.2015 की स्थिति (फीट में)	दिनांक–09.10.2015 की स्थिति (फीट में)
1	चन्दन	110000	493.90	484.00
2	बदुआ	89000	414.20	410.50
3	ओढ़नी	33550	405.30	404.50
4	ऑजन	20030	402.40	399.40
5	बेलहरना	11805	448.60	447.00
6	खड़गपुर झील	13200	219.00	218.30
7	विलासी	23400	295.40	294.60
8	मोरवे	10800	270.80	269.60
9	नागी	7700	428.30	426.10
10	गरही जलाशय	68500	545.20	542.40
11	कोहिरा	22210	306.00	306.00
12	बटाने	48600	734.25	732.44
13	फुलवरिया	41563	585.20	583.00
14	नकटी जलाशय	11320	442.30	441.70

खरीफ सिंचाई 2015 के दौरान नहरों से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति

क्र0	नहर प्रणाली का नाम	सिंचाई लक्ष्य (हे0 में)	सिंचाई उपलब्धि (हे0 में) दिनांक–01.10.15 तक	सिंचाई उपलब्धि (हे0 में) दिनांक–09.10.15 तक
(क)	सोन नहर प्रणाली :–			
1.	पूर्वी सोन नहर प्रणाली	148450	146184	146184
2.	पश्चिमी सोन नहर प्रणाली	399922	371288	371288
(ख)	कोशी नहर प्रणाली :–			
1.	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	377565	320302	320302
2.	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	41384	32918	32918
(ग)	गंडक नहर प्रणाली :–			
1.	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	331684	307926	307926
2.	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	165846	151320	151320
(घ)	अन्य योजनाएं :–	453490	382650	382800
कुल		**1918341**	**1712588**	**1712738**

सचिव, जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि सोन नदी में पानी कम है, परन्तु वर्त्तमान में सिंचाई हो रही है।

विकास आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि नहरों की सभी वितरणी को ठीक करा लें तथा नहरों से अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

7. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि पशु शिविरों के स्थापना हेतु 1640 स्थालों का चयन कर लिया गया है एवं पशुचारे की कोई कमी नहीं है। 10 प्रकार पशु दवाओं का क्रय किया जा चूका है एवं टीकाकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि पशु शिविरों हेतु चयनित स्थलों के पास पशुओं के पेयजल हेतु जल के स्रोत उपलब्ध है अथवा नहीं इसकी जाँच करा ली जाए।

8. ग्रामीण विकास विभाग

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि मनरेगा अंतर्गत 1.25 करोड़ मैनडेज सृजित हो गया है।

विकास आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में वर्षापात कम है उन क्षेत्रों की स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जाए तथा मैनडेज बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

9. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा बताया गया कि राज्य में खाद्यान्न की कमी नहीं है एवं खाद्यान्न भंडारित है।

विकास आयुक्त द्वारा शताब्दी अन्न कलश योजना अंतर्गत प्रत्येक पंचायतों/ वार्डो में खाद्यान्न की स्थिति/उपलब्धतता के संबंध में ज्ञात करने का निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। अगली बैठक दिनांक 16.10.2015 (शुक्रवार) को 5.30 बजे अपराह्न आहूत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
(शिशिर सिन्हा)
विकास आयुक्त
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014-3920/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–12/10/15

प्रतिलिपिः कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ उर्जा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग/ निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/X/15
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव